

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) के लिए पात्र योजनाओं के अंतर्गत उपयोग/आबंटित निधि का विवरण

(₹ करोड़)

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम योजना	वास्तविक 2022-23	ब.अ. 2023-24	सं.अ. 2023-2024	ब.अ. 2024-25
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (i) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	157.30	169.00	120.00	170.00
	उप कुल	157.30	169.00	120.00	170.00
60	आवासन और शहरी कार्य (i) मेट्रो परियोजनाएं (इक्विटी निवेश)	3,202.56	3,609.00	3,609.00	3,364.51
	उप कुल	3,202.56	3,609.00	3,609.00	3,364.51
71	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (i) सौर ऊर्जा (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम))	801.36	1,996.46	1,100.00	1,996.00
	(ii) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	-	297.00	100.00	600.00
	(iii) सौर ऊर्जा (सौर विद्युत (ग्रिड))	1,255.68	4,000.00	4,000.00	10,000.00
	(iv) पवन ऊर्जा (पवन विद्युत (ग्रिड))	1,266.96	1,214.00	916.30	930.00
	उप कुल	3,324.00	7,507.46	6,116.30	13,526.00
85	रेलवे (i) ऊर्जा दक्ष तीन चरणीय इलेक्ट्रिक लोकोस का उत्पादन	8,541.00	9,929.00	9,929.00	12,000.00
	(ii) दम दम हवाई अड्डा, नया गरिया वाया राजेरहाट मेट्रो रेलवे, नया गरिया (कवि सुभाष) बिमान बांंदर का निर्माण	904.00	1,200.00	1,750.00	1,791.39
	(iii) जोका बिनाय बादल देनेश बाग वाया मजेरहाट मेट्रो रेलवे का निर्माण	794.00	1,350.00	800.00	1,208.61
	उप कुल	10,239.00	12,479.00	12,479.00	15,000.00
	कुल योग	16,922.86	23,764.46	22,324.30	32,060.51

- टिप्पणी:** (1) वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से ₹16,000 करोड़ उधार जुटाया है। सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से वित्तपोषण के लिए पात्र योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक व्यय राशि 16,923 करोड़ रुपये है। 16,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त 923 करोड़ रुपये का व्यय सरकार की सामान्य राजस्व से किया गया है।
- (2) वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने सरकारी बांड के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय/अधिसूचित किया है। पात्र योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, यदि कोई हो तो उसे सरकार की सामान्य राजस्व के वित्तपोषण से किया जाएगा।
- (3) ब. अनुमान 2024-25 में मंत्रालयों ने सरकारी बांड प्राप्ति के माध्यम से वित्तपोषण के लिए लिए पात्र योजनाओं के अंतर्गत 32,061 करोड़ रुपये मांगा है। तथापि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बांड जारी करने के माध्यम से जुटायी जाने वाले वास्तविक राशि के लिए निर्णय/अधिसूचना अलग से जारी किया जाएगा।